



MUNICIPAL CORPORATION MANDI
(Himachal Pradesh)

Email:- mcorp.mandi@gmail.com, Phone:- 01905-222146
mcmandi09@gmail.com Fax :-01905-221980

संख्या .एम् . सी /स्वच्छता शाखा /कुत्ता लाइसेंस /2022

दिनांक

सेवा में

.....
.....
.....

विषय : कुत्ते का लाइसेंस न०पंजीकरण / नवीनीकरण वर्ष हेतु।

आपके प्रार्थना पत्र दिनांकके संदर्भ में आपके कुत्ते का पंजीकरण / नवीनीकरण वर्षके लिए निम्न शर्तों के आधार पर किया जाता है :-

1. पंजीकरण वित्तीय वर्ष के लिए लागू होगा , समयावधि उपरांत कुत्ते के स्वामी को नगर निगम के बिना सूचना के मार्च / अप्रैल माह में नवीनीकरण करना होगा , नवीनीकरण करते समय कुत्ता स्वामी को कुत्ते के 2 फोटोग्राफ. चिकित्सक द्वारा जारी प्रमाणपत्र साथ लाना होगा , नवीनीकरण न करने की सूरत में उपविधियों के अनुसार मार्च माह के उपरांत प्रतिदिन 20 / रु० की दर से जुर्माना लिया जायेगा।
2. पंजीकृत कुत्ते का स्वामी कुत्ते को एक पट्टा पहनायेगा , जिसमे एक धातु का बिल्ला / टोकन लगा होगा , जो नगर निगम कार्यालय से प्राप्त किया जा सकेगा।
3. यदि पंजीकृत कुत्ते का टोकन खो जाता है तो इस स्थिति में कुत्ते का स्वामी कीमत अदा करके नगर निगम से नया टोकन प्राप्त कर सकता है।
4. कुत्ते को सार्वजनिक स्थानों पर आवारा / खुला नहीं छोड़ा जाएगा। कुत्ते द्वारा खुले में शौच किये जाने की स्थिति में कुत्ते के स्वामी को शौच अपने स्तर पर उठाना होगा।
5. उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन नगर निगम द्वारा जुर्माने से दंडनीय होगा।

आयुक्त/संयुक्त आयुक्त
नगर निगम मंडी